भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

डॉ राम मनोहर लोहिया अस्पताल में जन संपर्क अधिकारी पद के लिए भर्ती नियमों के मसौदे पर सार्वजनिक सूचना

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग-डीओपीटी के दिनांक 13.10.2015 के का.ज्ञा. सं. एबी. 14017/61/2008-स्थापना (आरआर) के अनुपालन में, डॉ राम मनोहर लोहिया अस्पताल में स्टाफ कार ड्राईवर (विशेष ग्रेड), स्टाफ कार ड्राईवर (सामान्य ग्रेड), स्टाफ कार ड्राईवर (ग्रेड-II), स्टाफ कार ड्राईवर (ग्रेड-I) के पद के लिए भर्ती नियम संलग्न है।

भर्ती नियमों के मसौदे पर कोई भी आपत्ति/टिप्पणियां अथवा सुझाव देने के लिए इच्छुक पणधारक भर्ती नियमों के मसौदे के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर अनुभाग अधिकारी (एम.एच.–II) कमरा सं 405 ए, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110108 को लिखित रूप में भेज सकते हैं या medicalhospital61@gmail.com पर ई मेल कर सकते हैं।-

(जी.पी. सामंत)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष-011 : 23061521

नई दिल्ली
दिनांक :

[भारत के राजपत्र भाग II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख :.................... 2019

सा.का.नि. . . . . राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, डॉ0 राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में स्टाफ कार ड्राइवर (विशेष ग्रेड) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम डॉ0 राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली, स्टाफ कार ड्राइवर (विशेष ग्रेड) भर्ती नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे |

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मेट्रिक्स में स्तर- उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं |

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि - उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हता और उक्त पद से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं |

4. निरर्हता : वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी |

5. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी |

6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मेट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. स्टाफ कार ड्राईवर (विशेष ग्रेड)	1* (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में लेवल-6 (35400-112400 रू.)	अचयन	लागू नहीं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएंप्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 5 (29200-92300 रु) में तीन वर्ष की नियमित सेवा वाले स्टाफ कार ड्राईवर ग्रेड- I से पदोन्नति।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी: अपर चिकित्सा अधीक्षक, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल - अध्यक्ष स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में चिकित्सा शिक्षा के प्रभारी उप निदेशक - सदस्य उप निदेशक, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल - सदस्य प्रभारी परिवहन, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल - सदस्य समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी: अपर चिकित्सा अधीक्षक, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल - अध्यक्ष स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में चिकित्सा शिक्षा के प्रभारी उप निदेशक - सदस्य उप निदेशक, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल - सदस्य प्रभारी परिवहन, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल - सदस्य	लागू नहीं होता।

[ए-11018/27/2017-एमएच II]

(जीपी सामंत)
अवर सचिव, भारत सरकार

[भारत के राजपत्र भाग II, खण्ड–3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख :..................... 2019

सा.का.नि. . . . . राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और विलिंगडिंग अस्पताल तथा नर्सिंग होम, (वर्ग III पद) भर्ती नियम, 1973 को, जहां तक उनका संबंध ड्राईवर, अंबुलेंस ड्राईवर तथा ड्राईवर (भारी वाहन) से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में स्टाफ कार ड्राईवर (सामान्य ग्रेड), स्टाफ कार ड्राईवर ग्रेड II, स्टाफ कार ड्राईवर ग्रेड I के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम डॉ0 राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली, स्टाफ कार ड्राईवर (सामान्य ग्रेड), स्टाफ कार ड्राईवर ग्रेड II, स्टाफ कार ड्राईवर ग्रेड I भर्ती नियम, 2019 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे|

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मेट्रिक्स में स्तर**– उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं|

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि** – उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हता और उक्त पद से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं|

4. **निरर्हता** : वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी|

5. **शिथिल करने की शक्ति** : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी|

6. **व्यावृत्ति** : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मेट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. स्टाफ कार ड्राईवर (सामान्य ग्रेड)	6* (2019) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है |	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मेट्रिक्स में स्तर 2 (19900-63200 रुपये)	लागू नहीं	18-25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय -समय पर जारी किए गए अनुदशों और आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण 1 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी | (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है |) टिप्पण 2: रोजगार कार्यालय के माध्यम से भर्ती की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह तारीख होगी जिस तारीख तक रोजगार कार्यालय को नाम भेजने के लिए कहा गया है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
अनिवार्य : (i) मोटर कार के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेन्स; (ii) मोटर तंत्र की जानकारी (अभ्यार्थी को वाहन में छोटी-मोटी खराबी ठीक करनी आनी चाहिए); (iii) कम से कम तीन वर्ष का मोटर कार चलाने का अनुभव; और (iv) 10वीं कक्षा उतीर्ण वांछनीय: होमगार्ड या सिविल स्वयंसेवक के रूप में तीन वर्ष की सेवा टिप्पण-1 : अनुभव संबंधी अर्हताएं कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, उन कारणों को लेखबद्ध करके, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग/ सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।	लागू नहीं होता।	सीधी भर्ती किए जाने वाले या पुनर्नियोजित व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	प्रतिनियुक्ति/आमेलन जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा सशस्त्र सेना कार्मिकों के लिए: प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति/आमेलन डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल में ऐसे नियमित डिस्पेच राईडर (समूह -ग) एवं वेतन मैट्रिक्स में स्तर 1 (रुपये 18000-56900) के समूह-ग कर्मचारियों में से, जिनके पास मोटर कार चालने की दक्षता के मूल्यांकन हेतु ड्राइविंग टेस्ट के आधार पर प्राप्त किया गया वैध ड्राइविंग लाईसेंस है, जिसके न हो सकने पर केंद्र सरकार के अन्य मंत्रालयों में वेतन मैट्रिक्स में स्तर 1 (रुपये 18000-56900) में नियमित आधार पर डिस्पेच राइडर का पद धारण करने वाले कर्मचारियों में से जो कॉलम-7 में यथाउल्लिखित आवश्यक अर्हताओं को पूरा करते हों। सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिक, जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त अथवा रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हो और जो अपेक्षित अनुभव और अर्हताएँ रखते हों, पर भी विचार किया जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति की शर्तों पर रखा जाएगा जिस तारीख को वे सशस्त्र बल से रिलीज होंगे, तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर जारी रखा जा सकता है। टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसमें केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किन्हीं अन्य काडर बाह्य पदों पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2: पोषक वर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं	समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :- अपर चिकित्सा अधीक्षक, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल - अध्यक्ष स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में चिकित्सा शिक्षा के प्रभारी उप निदेशक - सदस्य उप निदेशक, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल - सदस्य	लागू नहीं होता।

प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पत्र नहीं होंगे। टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 अथवा उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, से पहले नियमित आधार पर की गई सेवा को, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी, सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है ।		

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मेट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. स्टाफ कार ड्राईवर ग्रेड-II	6* (2019) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मेट्रिक्स में स्तर 4 (25500-81100 रु.)	अचयन	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	पदोन्नति

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना**	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा**
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स में स्तर 2 (रुपये 19900-63200) में स्टाफ कार ड्राईवर (सामान्य ग्रेड) जिन्होंने उस श्रेणी में नौ वर्ष की नियमित सेवा की है और भारत सरकार द्वारा निर्धारित ट्रेड परीक्षण पास किया है।	समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :- अपर चिकित्सा अधीक्षक, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल - अध्यक्ष स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में चिकित्सा शिक्षा के प्रभारी उप निदेशक - सदस्य उप निदेशक, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल - सदस्य प्रभारी परिवहन, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल - सदस्य	लागू नहीं होता।

पद का नाम	**पदों की संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन मेट्रिक्स में स्तर**	**चयन पद अथवा अचयन पद**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. स्टाफ कार ड्राईवर ग्रेड-I	7* (2019) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मेट्रिक्स में स्तर 5 (29200-92300 रुपये)	अचयन	लागू नहीं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं**	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।**	**भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता**
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	पुनर्नियोजन के लिए दो वर्ष	प्रोन्नति

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स में स्तर 4 (रुपये 25500-81100) में स्टाफ कार ड्राईवर ग्रेड- II जिन्होंने उस ग्रेड में छः वर्ष की नियमित सेवा की है या स्टाफ कार ड्राईवर- ग्रेड-II तथा स्टाफ कार ड्राईवर (सामान्य ग्रेड) में 15 वर्ष की सयुंक्त सेवा की है और भारत सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट ट्रेड परीक्षण पास ।	समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :- अपर चिकित्सा अधीक्षक, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल - अध्यक्ष स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में चिकित्सा शिक्षा के प्रभारी उप निदेशक - सदस्य उप निदेशक, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल - सदस्य प्रभारी परिवहन, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल - सदस्य	लागू नहीं होता।

[ए-11018/27/2017-एमएच II]

(जीपी सामंत)
अवर सचिव, भारत सरकार